29-8-16

प्रार्थी के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री गंगाराम विश्नोई एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। स्थगन आदेश आवेदन पत्र पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा संख्या 34 दिनांक 21.10.2014 जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध होने से उसे निरस्त करने हेतु राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी पेश की हुई है। विप्रार्थीगण को नोटिस प्राप्त होने के बाद भी विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा मौके पर मजदूर लगाकर उक्त प्लॉट पर निर्माण कार्य करवाया जाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। काम रूकवाने का कहने पर मारपीट पर उतारू हो गयें। इस संबंध में थाने में जाने पर थानेदार द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश लाने पर काम रूकवाने का कहा गया। ग्राम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामिल में जारी हुआ
	पंचायत की जमीन को खुर्द–बुर्द करने एवं अवैध कब्जे का रोकने के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किया जाऐं। इसके जवाब में विप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्थगन आदेश का विरोध करते हुए आवेदन पत्र खारित करने का निवेदन कियावे। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली का ध्यानपूर्वक न्यायिक दृष्टि से अवलोकन किया। किसी भी व्यक्ति को अन्तरिम निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वामित्व व आधिपत्य को साकित करना प्रथमदृष्टया आवश्यक है। लेकिंन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर किस प्रकार व कैसे विधिक रूप से स्वामित्व रखता है, इस संबंध में कोई ठोस एवं विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि प्रकरण में वास्तविक स्थिति पूर्ण सुनवाई के दौरान ही निश्चित की जा सकेगी। लिहाजा इस स्तर पर हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे नहीं बनता है। इससे प्रार्थी को प्रथमदृष्टया क्षति होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आदेश आवेदन पत्र के तथ्यों में उचित आधार उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का स्थगन आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। आवेदन पत्र रज्जू फैसल होकर अपील पत्रावली के संलग्न् हो। अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	